

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक अक्षर कुलसभ्य जीवाजी विश्वविद्यालय में नाम से ही किया जाने कि किसी अन्य पदविभाग में नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यह अवसर हुआ हो तो एक क्रमांक एक दिनांक अवश्य लिखा जाने विद्यते उचित हो।



कक्षा : कुलसभ्य  
दस्तावेज : (0751) 2442603  
(0751) 2442629  
फैसल : (0751) 2441768

प्रेषक :  
कुलसभ्य,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/एच/संव/2012/ 5932

दिनांक: 05/02/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अद्य ग्राह्य जर्जिन महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-4067067) को सन 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संशोधित बी.एस-सी (विज्ञान) चतुर्थ वर्ष एवं सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संशोधित बी.एस-सी (विज्ञान), पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विभागों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधानों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति आचार्य/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्देशानुसार समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, वी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ जर्जिन, ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.डी. विश्वेश्वर, उपाचार्य, पुस्तक व्यवस्थापक, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुबंध है कि वे परिच्छेद 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय पर प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुक, धरोहर तथा वांछित शैक्षणिक-अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुसंधान/अनुसंधान प्रमाण-पत्र, भाष्य, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम-अडिजिबल तथा शिक्षण सत्र में ही अर्ज शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राथमिक/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति/तत्पश्चात् प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानों अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निर्देशानुसार समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कक्षालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि संपूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


भाष्य के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्द्धवर्ष तथा वार्षिक वार्षिक समिति अंकित की जावेगी। दिनांक 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिच्छेद 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना सत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / उपाचार्य सहायक प्रशासकी (एच.आर.) तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगा। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसभ्य

## प्रतिनिधि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। अत्र निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भाव, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसभ्य के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसभ्य (सम्बद्धता)

3